

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज् अदालत उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

प्रार्थीगण
जंक्सीवाल

बनाम

अप्रार्थीगण

श्रीताराम

रसम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र 251 "रु"

मुकदमा नं. 19 / 201

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी हु
20 ¹² / ₁₇	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.1.18 को पेश हो।	
22.1.18	वकुल प्रार्थी उप. 1 अर्थात् अप्रार्थी से 02 तहसीलपाल जायल से जवाब प्राप्त हुआ। जवाब शामिल पत्रावली है। पत्रावली अप्रार्थी से 01 की तलकी हुई दिनांक 29.1.18 को पेश हो।	
29.1.18	वकुल प्रार्थी उप. वकील रामनारायण चौधरी ने अप्रार्थी से 01 की ऑल से कालतनाया व इच्छाली जवाब पेश किया। कालतनाया व इच्छाली जवाब शामिल पत्रावली है। पत्रावली कालतनाया व इच्छाली दिनांक 31.01.18 को पेश हो।	
31 ⁰¹ / ₁₈	वकुल प्रार्थी उप. वकील वकुल श्रुती शर्मा वकुल प्रार्थी की वकील पूर्णलता जमीनाया पर आधारित वही वकुल प्रार्थी पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अन्वेषण किया गया। प्रार्थी ने इस जिन श्रेष्ठ में से रास्ता चाहा गया है उस श्रेष्ठ अर्थात् मॉका लसरा के स्थ. ने	

1728/79 ३ क्रेडिट गै. डू. कावासीय है जिस
मेले वास्ता डेना इस न्यायालय के क्षेत्रा-
धिकार में नहीं है। अतः जापी का जापीना
पत्र केखीकार कल खारीज किया जाता है।
निर्णय अलग से लिखा जाकर सुनाया
गया। पत्राकर्फी नम्बर से कम होकर
दफतर दायित्व हो।

